



# EXTRACT FROM THE GAZETTE OF INDIA: PART II SEC. 3 SUB. SEC. (ii)

Appearing on Page Nos. 16 176 Dated 18-1-1986

# दिल्ली विकास प्राधिकरण DELHI DEVELOPMENT AUTHORITY

# अधिस्चना

# नई दिल्ली, 9 जनवरी, 1986

का. ग्रा. 161:---दिल्ली विकास श्रिधिनियम, 1957 (1957 का 61) की धारा-57 की उपधारा (1) में प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए दिल्ली विकास प्राधिकरण एतर द्वारा केन्द्रीय सरकार की पूर्व अनुमृति से उक्त धारा के अनुच्छेद (एक) के अंतर्गत निम्नलिखित विनियम बनाता है:---

## श्रध्याय 1--सामान्य

- संक्षिप्त शीर्षक लागू होनः व समारम्भ (1) इन विनियमों को दिल्ली विकास प्राधिकारण (क्षेत्रीय) विनियम, 1983 कहा जाए।
  - ं(2) ये विनियम समस्त संव राज्य क्षेत्र दिल्ली पर लागू होंगे।
- (3) ये विनिधम सरकारी गजट में इनके प्रकाशन की तिथि से तत्काल लागु हो जाएंगे।
- 2 परिमाणाएं (1) इन विनियमों में जब तक कि संदर्भ से प्रतिकूल ग्राशय न हो:—
  - (ए) "अधिनियम" से अभित्राय दिल्ली विकास अधिनियम, 1957 (1957 का 61) से है;
  - (बी) 'प्राधिकरण' से अभिप्राय अधिनियम की धारा 3 के अंतर्गत गठित दिल्ली विकास प्राधिकरण से है;
  - (सी) "पूंजीगत मुल्य" से अभिप्राय भूमि, संरचना एवं मशीनरी के नूल्य से है जिस पर संस्वीकृत मुख्य योजना की तिथि से हासं अनुमेय है।
  - (डी) ''वाणिज्यिक" से अभिशाय है जो वाणिज्य से संबंधित हो।
  - (ई) "सक्षम प्राधिकारों" से अभिप्राय दिल्ली विकास प्राधिकरण से है।
  - (एफ) "जिला केन्द्र" से अभिप्राय किसी नक्कों में दर्शीये गये जिला केन्द्र से है और जिसमें उप-जिला केन्द्र मी सम्मिलत है ।
  - (जी) "प्रति कामगार फर्श क्षेत्र" से ग्रभिप्राय वर्ग मीटरों में मापित उस भागफल से है कुल उपलब्ध फर्श को कुल पंजीकृत ग्रौद्योगिक श्रम संख्या से विभाजित करने पर प्राप्त होता है।
  - (एच) "भवनों में सुधार" से अभिप्राय अनुसूची-3 में जल्लिखित सुधारों से है।
- (आई) 'मीबोगिक" से अभिनाय है जो उद्योग से संबंधित है। 1 DDA/85---1

- (जे) 'अपुष्ट प्रयोग'' से ग्राभिप्राय किसी भूमि या भवने का प्रयोग किसी क्षेत्र की मुख्य योगना तथा ग्रथवा क्षेत्रीय विकास योजना के अनुसार न होने से है।
- (के). "हानिकारक उद्योग" से अभिप्राय ऐसे उद्योगों से है जिनसे जीवन को खतरा हो जो धूम उत्पन्न करके, बाहर की ग्रोर प्रवाहित होकर स्वास्थ्य श्रथवा सम्पत्ति को नुकशान पहुंचा सकते हो या जहां ज्वलनशील सामग्री उत्पन्न को जातो हो ग्रथवा संडार के रूप में रखी जाती हो।
- (एल्) "गोर कारक उद्योग" से ग्रभिप्राय ऐसे उद्योग से है जो देखन में या दिखावट में, सूंघने में या सुनने में किसी को नुकसान, खतरा पहुंचाये या उसे परेशान कर दे ग्रथवा विद्याम या निद्रा में व्यवधान पहुंचाये।
- (एम) 'पंजीकृत रोजधार" से अभिनाय स्रिधिनियम जिसके स्रधीन कोई उद्योग चल रहा है; के अनुसार पंजीकृत कामगारों की संख्या से है।
- (एन) "रिहायशी" से अभिप्राय है कि जो रिहायण से संबंधित हो।
- (स्रो) 'प्रयोग क्षेत्र" से स्रभिप्राय धनुसूची-। में उल्लिखित में विभिन्न उपयोगों की पद संजासों से है।
- 2. कोई भी शब्द जो यहां सुस्पष्टता से पारिमाधित नहीं है, उसका वही अर्थ होगा जैसा की मुख्य योजना में पारिभाषित या उस्लिखित किया गया है।

# ग्रध्याय 2

- 3. निर्मित क्षेत्रों में स्वीकृतिदाता प्राधिकारी द्वारा घनुमत किये जाने वाले उपयोग: निर्मित क्षेत्रों में स्वीकृतिदाता प्राधिकारी किसी प्रयोग क्षेत्र में, क्षेत्रीय विकास योजनाओं के तैयार होने तक अनुमत प्रयोग की अनुमिति दे सकता है।
- 4. स्वीकृतिदाता प्राधिकारी द्वारा/अनुमत उपयोगों को सेंद्रीय विकास योजना में समाविष्ट करना जब कभी किसी निर्मित केंद्र की क्षेत्रीय विकास योजना तैयार की जाती है तो स्वीकृतिदाता प्राधिकारी द्वारा अनुमत उपयोगों को भूमि उपयोग संबंधी प्रस्तावों में समाविष्ट कर लिया जीएना ।

## सध्याय 3

थ्रपुष्ट प्रयोगों को हटाना तयां कुछेक प्रयोगों का परिवर्तन :

5. श्रीद्योगिक अपुष्ट प्रयोग ('खतरनाक उद्योग) :--कोई भी व्यक्ति चाहे वह योजना लागू होने के तुरन्त पहले से ही किसी भूमि या भवताँ को किसी हानिकारक उद्योग के चलाने के लिए प्रयोग कर रहा हो, उसे उस उद्योग को तीन वर्ष के भीतर किसी पुष्ट क्षेत्र में स्थानान्तरित करना होगा या कथित भ्रवधि की समारित पर भ्रपुष्ट प्रयोग को बन्द करना होगा:

परन्तु किसी भी व्यक्ति द्वारा 'हानिकारक उद्योग'' हेतु उस जोन में उक्त भूमि या भवन का ऐसी ग्रतिरिक्त ग्रविध हेतु जितनी कि श्राधिकरण द्वारा ग्रनुमत की जाए, प्रयोग जःरी रखना वैध माना जाएगा;

- (ए) पूंजीगत भूल्य एक लाख रुपए से ग्रधिक होने पर म्रनुसूची-2 के ग्रनुसार ;
- (बी) किसी अन्य मामले में हानिकारक उद्योगों की विशिष्ट प्रकृति को ध्यान में रखकर प्राधिकरण द्वारा तय की जाने वाली उचित क्षतों व निबन्धनों के आधार पर तथा समय-समय पर अपुष्ट प्रयोग हेतु इसी प्रकार निर्धारित दरों के अनुसार कर की वसूली करके अनुसति दी जाएगी।

6. हानि रहित उद्योग किन्तु शोरकारक: किसी व्यक्ति द्वारा चाहें योजना लागू होने के तुरन्त पहले से किसी भूमि या भवन को शोरकारक न्द्योग को चलाने हेतु प्रयोग में लाया जा रहा हो तो उसे उस उद्योग को चार वर्ष के भीतर योजना में निर्दिष्ट किसी पृष्ट क्षेत्र में स्थानान्तरित करना होगा या कथित अविध की समाप्ति पर अपुष्ट प्रयोग को बन्द करना होगा:

परन्तु किसी भी व्यक्ति द्वारा 'शोरकारक" उद्योग हेतु उस जोन में उक्त भूक्षि या भवन का ऐसी श्रवधि हेतु जितनो कि प्राधिकरण अनुमत करें, प्रयोग जारी रखना वैद्य माना जाएगा :--

- (1) प्रनुसूची-2 के प्रनुसार परिकलन-पैमाने के आधार पर दस वर्ष की ग्रविध तक यदि--
  - (ए) विनियमों में उद्धृत उद्योग का पूंजीगत मूल्य उच्चतर है;
  - (बी) उद्योग का पंजीकृत श्रम ग्रधिक है, तथा
  - (सी) विनियमों में उद्धत उद्योग का प्रति कामगार फर्श क्षेत्र ग्रिथिक हो।
  - (2) िकसी अन्य भामले में शोरकारक उद्योगों की विभिष्ट प्रकृति को ध्यान में रखकर प्राधिकरण द्वारा तय की जाने वाली उचित शर्तों व निवंधनों के आधार पर तथा समय-समय पर अपुष्ट प्रयोग हेंचु उसी प्रकार निवंदित दरों के अनुसार कर की वसूली करके अनुमति दी जाएगों।

7. शोर-रहित उद्योग : िकसी व्यक्ति द्वारा चाहे योजना लागू होने कं तुरन्त पहले से किसी भूमि या भवन को शोर-रहित उद्योग की धलाने हेतु प्रयोग में लाया जा रहा है तो उसे उस उद्योग को छह वर्ष के भीतर योजना में निर्दिष्ट किसी पुष्ट क्षेत्र में स्थानान्तरित करना होगा या कियत ग्रवधि की समाप्ति पर ग्रपुष्ट प्रयोग को बंद करना होगा:

परन्तु किसी भी व्यक्ति द्वारा 'शोर-रहित उद्योग' हेतु उस जोन में उक्त भूमि या भवन का ऐसी अतिरिक्त ग्रवधि के लिए जितनी कि प्राधिकरण ग्रनुज्ञात करें, प्रयोग जारी रखना वैध माना जाएगा :--

- (1) अनुसूची-2 के अनुसार परिकलन-पैमाने के आधार पर 20 वर्ष की अविधि तक, यदि :—
  - (ए) विनियमों में उद्धृत उद्योग का पूंजीयत मूल्य उच्यतर है:
  - (बी) उद्योग का पंजीकृत अरम अधिक है; तथा
  - (सी) किसी ग्रन्थ मामले में उद्योग की विशिष्ट प्रकृति की क्यान में रखकर प्राधिकरण द्वारा तय का जाने वाली

उचित शर्ती व निबन्धनों के स्राधार पर तथा समय-समय पर अपुष्ट प्रयोग हेतु इसी प्रकार निर्धारित दरों के अनुसार कर की वसूली करके स्रनुमति दी आएगी।

8. अीद्योगिक क्षेत्र में रिहायको प्रयोग : रिहायकी अपुष्ट प्रयोग तथा इसका परिवर्तन किसी व्यक्ति द्वारा चाहे योजना लागू होने के तुरन्त पहले से किसी औद्योगिक प्रयोग वाले जोन में रिहायकी उद्देश्यों हेतु किसी भूमि या भवन का अपुष्ट प्रयोग के रूप में उपयोग किश्रा जा रहा है तो वह उसको 10 वर्ष की अविध तक जारी रख सकता है। परन्तु इस अविध की समाप्ति पर उसे अपुष्ट प्रयोग को योजना में निविंद्य किसी पुष्ट में स्थानान्तरित करना होगा।

परन्तु किसी भी व्यक्ति द्वारा उसी जोन में उक्त 10 वर्ष की निर्धारित प्रविधि के बाद भी अपुष्ट प्रयोग जारा रखा जाना उम इत्रवा में वैध माना जाएगा, यदि वह व्यक्ति-ले-आउट प्लान तथा अपुष्ट रूप में प्रयोग की जा रही सुगर स्ट्रविय के संबंध में प्राधिकरण से अनुमोदन-प्राप्त कर लेता है।

9. वाजिञ्चक क्षेत्रों में रिहायको प्रयोग: किसी व्यक्ति द्वारा चाहे सोजना लागू होने के तुरन्त पहले से किसी वाणिज्यिक जोन में रिहायकी उद्देश्य हेतु किसा भूमि या भवन का अपुष्ट प्रयोग के रूप में उपयोग किया जा रहा हो तो वह उस प्रयोग को 10 वर्ष की अविध तक जारी रख सकता है परन्तु इस अविध को समान्ति पर उसे अपुष्ट प्रयोग को योजना में निर्दिष्ट किसी पुष्ट क्षेत्र में स्थानान्तरित करना होगा:

परन्तु किसी भी व्यक्ति द्वारा उसी जोन में उसत दस वर्ष की निर्धारित अवधि के पश्चात भी उसत अपुष्ट प्रयोग जारी रखा जाना उस अवस्था में वैद्य माना जाएगा, यदि (ए) उस व्यक्ति ने ले-आउट प्लान तथा अपुष्ट रूप में प्रयोग की जा रही सुगर स्ट्रक्चर के संबंध में प्राधिकरण से अनुमति प्राप्ति कर ली है।

(वी) प्राधिकरण लिखित रूप में दर्ज किये गये कारणों के ग्राधार पर उस जोन में भवन की प्रयान तथा उत्तरों नंजिल को रिहायशी प्रयोग हेतु प्रयोग में लाये जाने हेतु ग्रनुमित दे सकता है।

10. सार्वजनिक मनोरंजनात्मक क्षेत्रों में रिहायशो प्रयोग : किसी भो ध्यिति द्वारा चाहें योजना लागू होने के तुरन्त पहले से किसी सार्वजनिक मनोरंजनात्मक क्षेत्र वाले जोन में स्थित किसी भूमि या भवन का रिहायशी उद्देश्य हेता अपुष्ट प्रयोग किया जा रहा हो तो वह उस भूमि या भवन के प्रयोग को जारी रख सकेगा वशतें वह भूमि या भवन किसी गांव में स्थित हो जो 1 सितम्बर, 1962 को अस्तित्व में था तथा अन्य सभी मामलों में 10 वर्ष तक या ऐसी बढ़ी हुई अवधि तक जो अनुमत मामले की विशिष्ट परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए प्राधिकरण द्वारा दी जाए।

- 11. औद्योगिक क्षेत्रों में वाणिज्यिक प्रयोग: औद्योगिक प्रयोग के जोन में वाणिज्यिक उद्देश्यों हेतु किसी भूमि या भवन को किसी व्यक्ति दारा:—
  - (ए) 10 वर्ष की अवधि तक उपयोग किया जा सकता है वसर्ते वह प्राधिकरण से ऐसी भूमि या भवन के प्रयोग को वाणिज्यिक प्रयोग को परिवर्तित कराने तथा ले-प्राउट प्लान और उस पर स्थित स्ट्रक्चर के संबंध में स्वीकृति प्राप्त कर लें; और
    - (बी) किसी ग्रन्य मामले में ऐसी ग्रतीं व नियमों के आधार पर प्रयोग किया जाएगा औसो प्राधिकरण तथ करें।

12 रिहायशों क्षेत्र में वाणिज्यिक प्रयोग :—रिहायशी प्रयोग के जोन में वाणिज्यिक उद्देश्य हेतु किसी भूमि या भवन को किसी यक्ति हारा:—

- (ए) 10 वर्ष को यवधि तक प्रयोग कर सकता है वगर्ते उस जोन की क्षेत्र य विकास योजना में वह मूमि स्थानीय वाणिज्यिक क्षेत्र के रूप में निदिष्ट हो; तथा
- (बी) किसी ग्रन्य मामले में ऐसी शर्तों व नियमों के स्राधार पर प्रयोग किया जाएगा जैस: प्राधिकरण तय करें।

13. सार्वजिनिक एवं ग्रार्द्ध-सार्वजिनिक क्षेत्रों में जिसमें मनोरंजनारमक क्षेत्र भी प्रानिस्त हैं, में वाणिज्यिक प्रयोग :—सार्वजिनक एवं ग्रार्द्ध-सार्वजिनिक प्रयोग के जोन में जिसमें मनोरंजनात्मक जोन भी सिम्मिलित है, में वाणिज्यिक उद्देश्य हेतु किसी भूमि या भवन को किसी व्यक्ति द्वारा:

- (ए) 10 वर्ष तक की स्रविध तक प्रयोग किया जा सकता है वर्शतें उस जोन की क्षेत्रीय विकास योजना में वह भी स्यानीय वाणिज्यिक क्षेत्र के रूप में निर्दिष्ट हो; तथा (बी) किसी अन्य मामले में ऐसी शर्तीं व नियमों के आधार पर प्रयोग किया जाएगा जीता प्राधिकरण तय करें।
- 14. श्रपुष्ट क्षेषों में मुधार एवं परिवर्तन :-- किशी व्यक्ति द्वारा यदि योजना लागू होने के तुरन्त पहले से किसी भूमि या भवन का प्रयोग उस जोन की मुख्य या क्षेक्षीय निकास योजना के श्रनुरूप नहीं किया जा रहा हो झौर यदि वह उस भूमि या भवन पर संस्थापित मशीनरी में सुधार या बदलाव करना चाहे तो उसे इसकी इजाजत होगी वशर्ते ऐसे सुधार या बदलाव इन विनियमों की श्रनुसूची- 3 में उल्लिखित मदों के स्रतर्गत श्राते हों।
- 15. श्रस्थायों परिनिट: -- कोई भी भूमि या भवन नक्कों में उसके निर्धारित प्रयोग से अन्यथा उद्देश्य हेतु श्रस्थायों रूप में एक सौमित श्रयिष हेतु श्रावेदन प्राप्ति पर कारणों को लिखित रूप में एक सौमित श्रयिष हेतु श्रावेदन प्राप्ति पर कारणों को लिखित रूप में दर्ज करते हुए प्रयोग में लाने हेतु श्रनुमत की जा सकती है जैसे किसी श्रीधोणिक स्टेट के निर्माण के समय मजदूरों के रहने के लिये टेन्टों हेतु श्रथवा यदि विकासाधीन खीछ में सम्पत्ति मालिक की इच्छा पर कृषि के प्रयोग को जारी रखने हेतु या विकासाधीन क्षेत्रों में ही भूमि के नक्शों में निर्धारित प्रयोग से श्रव्या किसी उद्देश्य हेनु श्रस्थायों प्रयोग हेतु जपयोग में लाना।
- 16. श्रतुज्ञप्त प्रयोग :- किसो जोन में किसी भूमि या भवन के प्रयोग को वैध माना जाएना यदि वह भूमि संलग्न श्रनुसूची 4 में अपने जोन में श्रनुज्ञप्त प्रयोग से दिशत प्रयोगों में से किसी एक प्रयोग हेतु निर्दिण्ट की गई हो।
- 17. विशेष अपील पर सक्षम प्राधिकारी द्वारा यदि अनुमति दी जाए तो अनुकष्त प्रयोग :—िकसी जीन में किसी भूमि या भवन को यदि यहां अनुसूची -4 में उल्लिखित विशेष अपील के अन्तर्गत सक्षम अधिकारी द्वारा किसी भी उद्देश्य हेतु प्रयोग करने के लिये स्पष्टत: अनुमत कर विया जाए तो उसे प्रयोग में लाया जाना वैध माना जाएगा।

विनियम 1 (ओ) के भ्रनुसार ग्रनुसूची-1

	ત્રવાગ સવ
1 2	3
1. ग्रार-25	रिहायणी
2. भार-50	रिहायशी
3. ग्रार-60	रिहायणी
4. ग्रार-75	रिहायशी
5. श्रार-100	रिहायशी
6. ग्रार-125	रिहायशी
<b>7.</b> ग्रार–150	रिहायशी
8. ग्रार-200	रिहायशी (
9. ऑर−250	रिहायशी

1 2	3
10. ए-1 , 11. ए-2 12. सी-1 13. सी-2	कृषि हरित पट्टी ग्रामीण खुदरा विपणन सामान्य व्यापार तथा वाणिडियक (केन्द्रीय तथा उप-केन्द्रीय व्याप\र जिले, जिला केन्द्र)
14. सी-3	थोक ,
15. 哎年—1	<b>ं पलैटिड फैक्ट्री</b>
16. एम-2	कार्य व औद्योगिक केन्द्र
17. एम-3	विशेष उद्योग
18. एम−4	हल्के उद्योग तथा सर्विस इन्डस्ट्री
19. एम⊶5	व्यापक विनिर्माण
20. एस-6	तिष्कर्षणात्मक उद्योग, उत्खनन ईंट-भट्टे, पत्थर-कैशर इत्यादि ।
21. डब्स्यू.	गोदाम, भण्डारण तथा डिपो ।
22. सी	सरकारी एवं ग्रर्ड सरकारी कार्यालया
23. पी	मनोरंजनात्मक ।
24. एफ	सार्वजनिक एवं ग्रर्ट्ट-सार्वजनिक सुविधाएं।

ग्रपुष्टः प्रयोगों हेत् समय-सारिणी

विनियम 5 से 7 के अनुसार ग्रनुसूची-2

#### औद्योगिक प्रयोग:

विलम्बन काल की स्थिति	हानिकारक उद्योग	भोरकारक उद्योग	शोररहित उद्योग
	वर्ष संख्या	 वर्ष संख्या	वर्षे संख्या
1	2	3	4
वे उद्योग जहां पंजीकृत कर्म- चारी संख्या 1 से 19 है और प्रति कामगार फर्श-क्षेत्र 50 वर्ग फुट या उससे कम है और पूंजीगत मूल्य एक			
लाख से कम है। पंजीकृत कर्मचारियों की संख्या 20 से 99 के बीच हैं (ग्रतिरिक्त वर्ष)		1	
पंजीकृत कर्मचारियों की संख्या 100 या उससे अधिक है (अतिरिक्त वर्ष)		1	2
प्रति कामगार फर्श-क्षेत्र की उपलब्धता 51 से 1.00 वर्ग फुट है (ग्रतिरिक्त वर्ष)		1	2
प्रति कामगार फर्झ-क्षेत्र की उपलब्धता 100 वर्ग फुट से अपर है (ग्रनिरिक्त वर्ष)	· 	1	2
पूंजीगत मूल्य यदि एक से पांच लाख के बीच है (ग्रतिरिक्त वर्ष)		1	2

i ·	2	3	4
पूंजीगत मूल्य यदि पांच लाख में ऋपर है (अतिरिक्त	-		
रर्ष)	1	1	4
प्रधिकतम वर्ष संख्या	5	10	20

- नोट :-- 1. सारिणी में दर्ज प्रत्येक संख्या पर समय दर्शाया गया है जो सारिणी में प्रस्तुत क्रम का सम्च्यबोधक है।
  - 2. सारिणी में दर्ज रोजगार उस उद्योग हैतु है जो ऊर्जा का प्रयोग कर रहा है। जिन उद्योगों में ऊर्जा प्रयुक्त नहीं होती वहां रोजगार की संख्या दूगनी मानी जाएंगी।

विनियम 14 के अनुसार अनुसूची-3:

भवन तथा मशीनरी में अनुमति के अनुसार सुधार करना।

- । वर्तमान पावर प्लान्ट तथा वर्कणाप और प्रन्य प्रनुषांगिक विभाग जो मोजदा उपकर की क्रियाकलापों के चलते रहने से जुड़े हैं, की उत्पादकता, दक्षता तथा मितव्ययता में वृद्धि करने हेतु किसी भी प्रकार से मरम्मत, तबदीलो, श्राधुनिकीकरण या सुधार करना।
- 2. उस भवन की किसी भी प्रकार से पुनर्गठित करना, उसमें परि-वर्तन करना या उसकी मरम्मत करना, जिसमें उक्त संयंद्र एवं उपकरण स्थित हैं।  $\frac{1}{2}$
- 3. किसी भी वर्तमान कार्यालय भवन, रिहायको, द्यावास, सुविधाओं द्वारों, टेकियों, प्लेटफामों, कूओं, सड़कों, नौलियों तथा प्रन्य स्ट्रैंबचरों में वर्तमान उत्पादन सम्बन्धी क्रियाओं की दक्षता, उत्पादकता तथा मितव्ययंता को वनाये रखने तथा उसमें सुधार करने के उद्देश्य से परिवर्तन, पुनर्गठन, बढ़ावां तथा परिवर्द्धन करना।
- 4. औद्योगिक भूखण्ड पर गोदाम का पुनर्निर्माण या मरम्मत, परिवर्तन करना, कच्चे माल, मशीनरी, कल-पुजी, परिष्कृत उत्पादी, भवन सामग्री इत्यदि को ढेर के रूप में रखना।

# विनियम 16 के अनुसार अनुसूची-4

ઋમ. સ. પ્રયાગ સાલ	श्रनुज्ञप्त प्रयाग
1 2	3
1 2  1. 1 से 3 श्रार25 श्रार50, श्रार60	रिहायणः मकान, वाल बाज्यां किन्डर गार्डन तथा स्कूल किलं- निक्स, सामाजिक तथा सांस्कृतिक संस्थाएं जिनमें पर्याप्त पार्किंग सुविधा हो; सर्विस व स्टोरेज यार्डस को छोड़कर जन सुविधाएं तथा इमारतें अवगणिज्यिक फार्मस, हृषि बागान, नर्सरिय और श्रीन हाऊसिज तथा पड़ीस-वर्ती, मनोरंजनात्मक प्रयोग जिनमें बलव्स तथा अन्य ग्रर्दे सार्वजनिक मनोरंजनात्मक
	प्रयोग सम्मिलित है; सह प्रयोग जो रिहायकी प्रयोग पर स्पष्टतः श्रनुषांगिक है (खुदर दुकानों व सेवा प्रयोगों के

छोड़ कर) तथा वे झोर गा

खातरा उत्पन्न न करते हों।

3 2. 4 से 6 मार-75, मार-100, मार-25 से मार-60 तक के प्रयोग क्षेत्रों में सभी उपयोगों मार-125 का ग्रनुमति है। म्रार-75 प्रयोग क्षेत्र में सभी प्रयोग 3. 7 से 8 ग्रार-150, ग्रार-200 अनुमत हैं। ग्रार-200 प्रयोग क्षेत्र में सभी 4. 9: স্বার-250 प्रयोग अनुमत हैं। कृषि, उद्यान, फल-वाटिका तथा 5. 10 ₹-1 सब्जो फार्भ जिनके फार्म प्लाट का कम से कम ग्राकार 1

6. 11ए-2 7. 12甙-1

8 13-सी-2

9.14सीं ⊸3

हैक्ट. है, मुर्गी, डेरी तथा शन्य पशुधन फार्न और उनकी सह इमारतें तथा 2 हैक्ट. की न्यू-नतम भूखण्ड क्षेत्र सीमा में म्राने वाले प्रयोग ; भूमि प्रयोग नक्कों में, दक्षित या वर्णित विशिष्ट प्रयोग जैसे शहरी गांव, ईंट भर्ने तथा 1981 की महरी-कृत सीमा से आधा मील से बाहर 8 फुट की गराई तक मिद्री निक.लना । कृषि हरित पट्टी प्रयोग क्षेत्र में सभी प्रयोग ग्रनुज्ञप्त हैं । खदरा दकानें, व्यापार एवं व्याव-सायिक कार्यालय, सर्विस युज जैसे बारवर, टेलर, लांड**री** तथा ड्राईक्लीनर्स की दुकानें इत्यादि, रेस्तरां तथा मनोविनोद स्थल, रिहायशी मकान, सामा-जिक व कल्याण संस्था वशर्ते वे प्रथम तथा ऊपरी मंजिलों पर स्थित हों, क्लोनिक्स, मांस-मछली तथा फल बाजार, वैश खुदरा व्यापार हेत् छतं वाले भग्डारंगृह, सार्वजनिक एवं म्रर्द्ध सार्वजनिक मनोरंजनात्मक प्रयोग जन-स्विधाएं व इमारतें। सभी प्रयोगों हेतु अपेक्षित पाकिंग क्षेत्र अवश्य अनुमोदित किया जाना चाहिए ।

अनुमत हैं, होस्टल व बोडिंग हाऊस, गेस्टं हाऊस तथा होटल्स, कालेज स्कूल, अनुसंघान संस्थान, सर्विस गेरेज, गोदाम और इके भण्डार गृह, स्थानीय एवं केन्द्रीय सरकारी कार्यालय भी जिसमें शामिल हैं। सभी प्रयोगों हेतु अनेक्षित पार्किंग कोल अनुमोदित अवस्य किया जाना चाहिए। थोक व बुदरा दुकानें, विशिष्ट प्रतिजन्य को छोड़कर योक ब्यापार हेतु अन्वार गृह, व्यापारिक कार्यालय, रेस्तरों तथा रिहायसें बक्कर्ते वे प्रथम एवं

सी-1 प्रयोग क्षेत्र में सभी प्रयोग

19. I5TH-1	ऊपरी मंजिलों में स्थित हों, जनसुविधाए एवं भवन पाकिंग सभी उद्देश्यों हेतु लोडिंग व अनलोडिंग अध्वश्यकताओं को अवश्य अनुमोदित किया जाना चाहिए । निदर्शी सूची में उल्लिखित कार्य- निष्पति मानकों से सदृश पुष्ट उद्योग जो अतिशय धातक न हों या घृणित शोर, कम्पन, धूआं, गैस-धूम, गन्ध, धूल, अपगाभी रूप में या अन्य	17. 22 जी	लोडिंग व अन-लोडिंग क्षेत्र सम्बन्धी अपेक्षाओं को सभी प्रयोगों हेतु अनुतोदित किया जाना चाहिए। स्थानीय, राज्य व केन्द्रीय सरकारी कार्यालय तथा सुरक्षा उद्देश्यों हेतु प्रयोग, अनुतंधान संस्थान, सामाजिक एवं सांस्कृतिक संस्थान, वस्य रेल याची टर्मिनल्स, जन मुविधाएं व इमारतें, स्थानीय म्यूनिसिपल सुविबाएं, सरकारी
10. I5 <sup>m</sup> H-1	जनसुविधाएं एवं भवन पार्किंग सभी उद्देग्यों हेतु लोडिंग व अनलोडिंग आवश्यकताश्चों को अवश्य अनुमोदित किया जाना - वाहिए । निदर्शी सूची में उल्लिखित कार्य- निष्पति मानकों से सदृश पुष्ट उद्योग जो अतिशय धातक न हों या घृणित शोर, कम्पन, धूआं, गैस-धूम, गन्ध, धूल,	17 22 जी	हेतु बनुनोदित किया जाना चाहिए। स्थानीय, राज्य व केन्द्रीय सरकारी कार्यालय तथा सुरक्षा उद्देश्यों हेतु प्रयोग, अनुसंधान संस्थान, सामाजिक एवं सांस्कृतिक संस्थान, वस्यान रेल याची टर्मिनल्स, जन मुविद्याएं व इमारतें, स्थानीय
19. I5 <sup>ाम</sup> -।	सभी उद्देश्यों हेतु लोडिंग व ग्रनलोडिंग श्रावश्यकताश्रों को ग्रवश्य ग्रनुमोदित किया जाना - चाहिए । निदर्शी सूची में उल्लिखित कार्य- निष्पति मानकों से सदृश पुष्ट उद्योग जो ग्रतिशय धातक न हों या घृषित शोर, कम्पन, धूक्रां, गैस-धूम, गन्ध, धूल,	17 22 जी	स्थानीय, राज्य व केन्द्रीय सरकारी - कार्यालय तथा सुरक्षा उद्देश्यों हेतु प्रयोग, अनुसंधान संस्थान, सामाजिक एवं सांस्कृतिक संस्थान, वस्याल रेल याजी टिमनल्स, जन मुविद्याएं व इमारतें, स्थानीय
10. Iānu-l	त्रनलोडिंग आवश्यकताओं को ग्रवश्य ग्रनुमोदित किया जाना . चाहिए । निदर्णी सूची में उल्लिखिस कार्य- निष्पति मानकों से सदृश पुष्ट उद्योग जो ग्रतिशय घातक न हों या घृणित णोर, कम्पन, घूग्रां, गैस-धूम, गन्ध, धूल,	17 22 जी	कार्यालय तथा सुरक्षा उद्देश्यों हेतु प्रयोग, अनुसंधान संस्थान, सामाजिक एवं सांस्कृतिक संस्थान, वस्⊷व रेल याची टर्मिनल्स, जन मुविधाएं व इमारतें, स्थानीय
10- ार्डणम-।	ग्रवश्य ग्रनुमोदित किया जाना		कार्यालय तथा सुरक्षा उद्देश्यों हेतु प्रयोग, अनुसंधान संस्थान, सामाजिक एवं सांस्कृतिक संस्थान, वस्⊷व रेल याची टर्मिनल्स, जन मुविधाएं व इमारतें, स्थानीय
19. I5 <sup>17</sup> 4-1	चाहिए । निदर्शी सूची में उल्लिखित कार्य- निष्पति मानकों से सदृश पुष्ट उद्योग जो श्रतिशय घातक न हों या घृणित गोर, कम्पन, घूस्रां, गैस-धूम, गन्ध, धूल,		हेतु प्रयोग, अनुसंधान संस्थान, सामाजिक एवं सांस्कृतिक संस्थान, वस्⊷व रेल याची टर्मिनल्स, <b>जन</b> मुविधाएं व इमारतें, स्थानीय
19. ाउं <sup>त्</sup> म-।	निदर्शी सूची में उल्लिखिस कार्य- निष्पति मानकों से सदृश पुष्ट उद्योग जो श्रतिशय घातक न हों या घृणित गोर, कम्पन, घूस्रां, गैस-धूम, गन्ध, धूल,		साँमाजिक एवं सांस्कृतिक   संस्थान, वस्रूव  रेज  यात्री  टर्मिनल्स, <b>जन</b> मुविधाएं  व   इमारतें,   स्थानीय
10. IŠTH-1	निष्पति मानकों से सदृश पुष्ट उद्योग जो श्रतिशय घातक न हों या घृषित गोर, कम्पन, धूश्रां, गैस-धूम, गन्ध, धूल,		वस्ूत्र रेल यःची टर्मिनल्स, <b>जन</b> मुविधाएं व इमारतें, स्थानीय
	उद्योग जो श्रतिशय घातक <b>न</b> हों या घृणित णोर, कम्पन, घूस्रां, गैस-धूम, गन्ध, धूल,		मुविधाएं व इमारतें, स्थानीय
	हों या घृणित गोर, कम्पन, धूम्रां, गैस-धूम, गन्ध, धूल,		
	धूत्रां, गैस-धूम, गन्ध, <b>धूल</b> ,	•	<b>म्यूरमसमल सुनिवाए, सरकारा</b>
	धूत्रां, गैस-धूम, गन्ध, <b>धूल</b> ,		
		•	कार्यालयों से म्रानुपांगिक प्रयोग
			तथा उनके प्रयोगार्थ पाकिंग
	ग्रापत्तिजनक रूप में उत्पन्न		अपेक्षाओं को अनुभोदित अवस्य
	न करें ग्रोर जहां ऊर्जा चालित		किया जाना चाहिए ।
•	दशा में 20 से अधिक श्रौर	18. 23पी	समस्त सःवीजनक एवं भ्रर्द्ध-सार्व-
	•	•	जैनिक मनोरंजनात्मक प्र <b>योग</b>
•	ऊर्जारहित संचालन की दशा	* * * * * * * * * * * * * * * * * * * *	जिसमें पार्क, खेल के मैदान <b>,</b>
	में 40 व्यक्ति नियोजित हों,	i	पार्कपगडन्डियां तथा मुख्य पद्य
	. उद्योग हेतु भण्डार गृह हों ।		विशेष मनोरंजनात्मक क्षेत्र ब
	सभी प्रयोगों हेतु जन-सुविधाएं		शैक्षिक एव मनोरजनात् <b>मक</b>
	तथा इमारतें, पार्किंग, लोडिंग		क्षेत्र, बस तथा रेल यात्री टर्मि-
	त्रनलोडिंग की ग्रपेक्षाम्रों को	•	नल्स्तथा कार पार्किंग क्षेत्र ।
•	भ्रवश्य ग्रनुमोदित किया जाना		सभी मामलों में पार्किंग क्षेत की
;	चाहिए ।		अग्रवस्यात्वा को अवस्य अनु-
1. 16एम-2	एम-1 प्रगोग क्षेत्रानुसार		कानस्तात्ता ना अनस्य अनु मोदित किया जाना <b>चाहिए ।</b>
		10.04177	
2 17एम-3	एम-। प्रयोग क्षेत्रानुसार	19. 24 एफ	स्थानीय तथा क्षेत्रीय म्यूनिसिपन
<b>3</b> . 18 एम-4	एम-1, एम-2 तथा एम-3 प्रयोग		कार्यालय ; शैक्षणिक तथा भ्रतु-
	क्षेत्रों में ग्रनुमत सभी उद्योग		संधान संस्थान, सामाजिक एवं
	तथा उद्योगों की सूची में उल्लि-		सास्कृतिक संस्थान, स्मारक तथा
•	खित ग्रन्य उद्योग जहां ऊर्जा		धार्मिक संस्थान ; स्थानीय
•	भालित दशा में 50 से अनिधिक		म्यूनिसियल तया सामुदायिक
•	तथा ऊर्जा रहित दशा में 100		सुविद्याएं, जन सुविधा <b>एं .तथाः</b>
•	व्यक्ति नियोजित हैं ; सर्विस		इमारतें, रेडियो ट्रांसभीटर तथा
	उद्योग गोदाम, भण्डार गृह,		वायरलैस स्टेशन्स ; श्मश नघाट
	जन सुविधाएं तथा इसारतें	•	व कदिस्तान । सभी ममलों
•	तथा किसी वर्तमान कृषि भूमि		में पार्किंग क्षेत्र की ग्रावस्यकता
4			क। ग्रनुसोदन ग्रवस्य होना हाहिए।
	का जब तक कि विकास कार्य	विनियम - 1	7 के अनुसार अनुसूची-5
'	हेतु उसकी ग्रावण्यकता न हो		के श्रंतर्गत श्रनुमेय प्रयोग
	कृषि प्रुयोग करना । पार्किंग,		
	लोडिंग तथा ग्रनलोडिंग क्षेत्र		ाधिकारी द्वारा विशेष ऋपील के अन्तर्गत ऋनु-
	सम्बन्धी चपेक्षाएं सभी प्रयोगीं	मीत दि	ये जाने पर ग्रनुमेय प्रयोग।
•	हेतु अनुमोदित अवश्य की जानी	1 2	3
4 * * * * * * * * * * * * * * * * * * *	चाहिएं ।		मस्जिद, गिरजाघर, तथा पूजा के ग्रन्थ स्थल
4. 19 एम-5	्म-4 प्रयोग क्षेत्र में यनुज्ञप्त सभी	1. 1 स 3 मादर,	र संबंधी कार्यालय या गृह स्थित धंधे, परन्तु
.4. 1334-3	प्रयोग ।	पारायाः <del>हे</del> स्की	्र तथवा कायालय या गृह स्थित ध्रम, परन्तु
	-1 (( )		रिहासशी इकाई में स्थित हो जिसका मालिक
15. 20 एम-6	कंकड़, मिट्टी, रेत इत्यादि हटाना,		वारी ब्रादमी या ब्रीरत हो या वे उसी स्थानीय
	खनिज निकालना सक्षम प्राधि-		में स्थित हो, वाणिज्यिक कार्यालय सर्विस
	कारी द्वारा चाहे इस सम्बन्ध		के रूप में हों तथा पड़ौस के सदृश में खुदर
e de la composición del composición de la compos	में कैसी भी शर्ते लगाई गई हों,		के रूप में यदि वे स्थानीय वाजार या केन्द्रीकृत
	कृषि एवं कृषि के अनुषांगिक		में या तैयार किये जाते समय क्षेत्रीय योजना मे
•	प्रयोग ।		ये हों, बोर्डिगं हाऊस, गैस्ट हाऊस, होस्टल्स
			ोडिंग हार्क्रासंग एंड मोटेल्स, (विल्डिंग स्टेण्डर् <mark>ड</mark> स
16. २१ डब्ल्यू.	ग्रनस्वर तथा भ्रज्वलनशील वस्तुभी		स, 1977 द्वारा शामिल होते हैं, ऋस्पताल
	हेतु गोदाम, भण्डार तथा डिपो		या – जो कि किसी संकात्मक रोगों या
	भ्रीर ग्रनुषांगिक प्रयोग पार्किंग	•	क रोगियों से संबंधित न हों, भूखंड क
1 DDA/85			e station of controlled to but when to the

1

. 2

3

पटांव व पिछवाड़ाइस प्रकार का न हो कि समीपवर्ती रिहायशी क्षेत्रों को कोई व्यवधान होता हो, कालेज तथा अनुसंधान संस्थान जहां बिक्री की जाने वाली वस्तुओं या सामग्रियों का उत्पादन न होता हो तथा कोई शोर न पैदा हो ग्रौर भवन का कोई भाग भूखंड रेखा से 50 फुट से कम दूरी पर स्थित न हो, म्यूनिसिपल, राज्य व केन्द्रीय सरकारी कार्यालय, अवाणिज्यिक उद्देश्यों हेतु मुर्गी या पशु-फार्म बनाना --बशर्ते वह जगह जहां कि पक्षियों या पशुग्रों को रखा गया है, किसी रिहायश या सम्पत्ति से 50 फुट दूर हो, स्थल के विकासार्थ कंकड, मिट्टी रेत या पत्थर को हटाने से ऐसी स्थिति उत्पन्न न हो कि वहां पानी खड़ा हो जाए या किसी प्रकार का शोर उत्पत्न हो, बस डिपों, रेलवें यांत्री स्टेशन्स एवं माल-भाड़े के ब्रहु, सड़कों पर पैट्रोल प्रदायो स्टेशन या 100 फुट या इससे ऊपर का मार्गाधिकार सर्विसिज एवं भण्डारगृह प्रांगण, टैक्सी, स्कृटर स्टेण्डस, घरेलू उद्योग (सूची परिशिष्ट "ए" पर प्रस्तुत)

 4 से 6 अंगर-25 से ग्रार-60 प्रयोग क्षेत्रों में सभी प्रयोग अनुमेय हैं।

म्रार-75 म्रार-109 म्रार-125

- 7 से 8 श्रीर-75 से बार-125 क्षेत्रों में सभी प्रयोग श्रेनुमेय हैं। ब्रार-150
   ब्रार-200
- 1 9 आर-250 म्रोर 200 प्रयोग क्षेत्रों में सभी प्रयोग अनुमेय हैं।
- 5. 108-1 पूजा आदि के स्थल, स्कूल; पुस्तकालय, शैक्षणिक एवं सांस्कृतिक भवन, पार्क तथा अन्य सार्वजनिक एवं अर्द्ध-सार्वजनिक मनोरंजनात्मक प्रयोग जो लाभार्थ नहीं चलाये जा रहे हों; भंडारगृह, फार्म उत्पादों की प्रोपर्टी पर जहां कि वे उत्पन्न किये जाते हैं, से प्रेषण एवं बिक्री; फार्म मशीनरी की सर्विसिंग तथा मरम्मत तथा कृषिजनित पदार्थों की विक्री; जन-सुविधाएं वं इमारतें।
  - 1 1ए-2 विपणन केन्द्रों में स्थित खुदरा दुकानें ग्रीर सर्विस संबंधी प्रयोग मिल्क चिलिंग स्टेशन्स तथा पःशच्युराइजेशन प्लान्टस, कुटीर उद्योग एवं अन्य ऐसे हल्के उद्योग जो कृषिजनित हैं, ग्रामीण कालेज, बोडिंग हाउसिज व होस्टल्स, र्व ग्रौद्यीनिक ग्रनुसंधान प्रयोगशालाएं वी लघु प्रायीगिक संयत्न द्वीरा उत्पादित को छोड़कर विकी की जाने वीली वैस्तुयी या सामग्रियों के उत्पाद नार्थ प्रयुक्त न किये जा रहे हो तथा उनके द्वारा शोर पैदान होता हो ग्रौर इमारत का कोई भाग किसी रिहायश या समीपवर्ती परिसर या किसी सम्पत्ति सीमा रेखा या सड़क से 100 फूट की हद में न आता हो 8 फुट की गृहराई तक खुदाई सामग्री, पत्थर खुदाई वस ग्रुवन रेल यांती तथीं माल भाड़ के ग्रुडडे, विमानों के उतरने के लिए मैदानी क्षेत्र, तथा उनके आवश्यक सम्बद्ध कारक, सुविधाएँ वर्िईमारते, सैन्य उद्देश्यार्थ अहेरि इपेसित क्षेत्र, वीयरलेस सम्प्रेषण एवं मौसम केन्द्र, मेटेलस ।

- 7. 12-सी- सामाणिक एवं कल्याण संस्थाएं पैट्रोल फिलिंग स्टेशन्स 1 कोयला, लकड़ी या टिम्बर यार्ड्स, सिंबस गैरिजज शोर प्रथवा हालि रहित तथा हल्के उत्पादन वाले उद्योग जहां उर्जा हो या न हो 4 से ग्रिबक व्यक्ति नियोजित हो तथा उनके द्वारा उत्पादित वस्तुयों को श्रहाते में हो खुदरा रूप में विक्रय किया जाता हो, टैक्सी एवं स्कूटर स्टैण्ड, वस टीमनल, सभी प्रयोगों हेतु पार्किंग ग्रावश्यकता ग्रवश्य ग्रनुमोदित होनी चाहिए।
- 3 13-सी-2सी-1 जोन में विशेष ग्रपील के ग्रंतगंत ग्रनुमत समस्त प्रयोग। इसके ग्रंतिरिक्त समाचार पत्न ग्रौर छनाई प्रैस। विषणन केन्नों की व्यापक योजनाओं या खेबीय योजनाओं के ग्रंतगंत विशिष्ट क्षेत्रों में निम्नलिखित को भी ग्रनु-मत किया जाए; हल्के विनिर्माण, शोर रहित या हानि रहित सर्विस इन्डस्ट्रीज जहां ऊर्जा चालित या रहित ग्रवस्था में 10 से ग्रनिधक कर्मचारी निवोज्ति न हो; जंक-याई सं, पाकिंग क्षेत्र की ग्रावश्यकता-सभी उद्देश्यों हेतु ग्रंवश्य प्रदान की जाएं।
- 9. 14सी-3 ट्रक टॉमनल तथा पार्किंग; स्कूल क्लिनिक्स, सामाजिक एवं सांस्कृतिक संस्थान, वमनोरंजनात्मक उपयोग, मंडारगृह तथा मांस एवं मछली की मार्किट । सभी प्रयोगों हेतु पार्किंग, लोडिंग, व ग्रनलोडिंग क्षेत संबंधी ग्रावश्यकता का प्रावदान ग्रवश्य किया जाए।
- 10. 15एम- 1 वस एवं ट्रक टर्मिनल्स रेल याता व मास भाहे के ग्रहें, पैट्रोल फिलिंग स्टेंगन्स, टैक्सी तथा स्कूटर स्टेंग्ड जंक यार्डस, निगरानी एवं देखरेख करने वाले केंमें- चारियों हेतुं फिल्टीन तथा मनीरजैन- सुविधाएं।
- 11. 16 एस- 2 एम- 1 प्रयोग क्षेत्र के अनुरूप परन्तु एफ. ए. आर. तथा कवरेज इसके बाद में दिये अनुसार भिक्त है।
- 12. 17 एम- 3 निर्दिष्ट मुची में उल्लिखित केवल उन्हीं उद्योग को अनुमत किया जाएगा जो कियी प्रकार शोर उत्पन्न नहीं करते। कर्मचारियों हेतु कैन्टोन, मनोविनोद सुविधाएं तथा ग्रावास सुविधा का प्रावधान, परन्तु साइट पर प्रति एकड़ 25 व्यक्तियों से अधिक का धनत्व न हो।
- 13. 18:एम- एम- 4 जोन में उल्लिखित सभी प्रयोग अनुमत है। - 4 अनुसूची में उल्लिखित सभी उद्योग वशर्ते उद्योग के संचालित होते समय उत्पन्न धुमा, गंध, धूप तथा शोर के संबंध में मानक निर्धारित हो।

14 20: एम- 6 शून्य

- 15. 21: नष्ट होने लायक तथा ज्वलनशील सामग्रियां रखे जाने डब्ल्यू वाले गोदाम, सुरक्षा कर्मचारियों हेतु रिहायक पाकिंग, लोडिंग एवं ग्रनलोडिंग स्नावस्थकताओं का प्रविधान भवस्य होना चाहिए।
- 16. 22 जी सूर्त्य
- 17. 23:मी बाह्य ग्रंगमच, सिनेमा-चिलत रेस्तरां, खाद्य वस्तु विक्रम केन्द्र, जन सुविधाएं तथा म्यूनिसिपल सुविधाएं, मनोरंजन से स्पष्टतः संबंधित प्रयोग जिनसे श्रोर या खंतरा उत्पन्न न होता हो। निगरानी कर्मचास्यि हेतु रिहायश पाकिंग क्षेत्र की श्रावश्यकता का श्रावधान श्रवेश्य कियो जाना चाहिए।
- 18. 24.एफ मुख्य प्रयोग से संबंधित रियाशय एवं अन्य आनुवाधिक प्रयोग तथा उनसे किसी भी प्रकार से कोई बीव आ खतरा उत्पन्न न होता हो !

₩

\*

€

# (घनुसूची '5 का परिक्रिक्ट "ए")

रिहामणी क्षेत्रों में घरेलू उद्योगों की अचि: श्रेणी "ए" (वे व्यवसाय जिनके लिए पावरलोड की स्वीक्वेति नहीं दी जाएगी) :—

- 1 ग्रेगरबंत्ती तथा ग्रन्य उत्पाद
- 2. कैलिडो तथा टैक्सटाइल किटिंग
- 3. बेंत-बांस उत्पाद
- 4. क्ले-मोडलिंग
- 5. नारियंल एवं ग्रन्य फाइबर उत्वाद
- 6. जरो, जरदाजी
- 7. पत्थर नक्काणी
- 8 तस्वीरों की फ़्रेमिंग
- 9. पियवर्क, पिथेट विनिर्माण
- 10 छाता जोड़ने का काम
- 11. मोमबत्तियां
- ा 2 बाटिके छपाई
- 13 दरी व कारपेट बुनाई
- 14 खादीं व हैंडलम
- 15 पडियों व घंटों की मरम्भत
- 16 खाने वाले तेली के अलावा तेली से साधुन उत्पादन
- 17. ग्रामीण पोटरी उद्योग (व्यवसाय, जिना पावर लोड के कावा जाता हो) i
- 18 स्टोब पिनें तथा सेपटी पिनें।
- श्रैणी "बी" (वे व्यवसाय जिनके लिए ा कि बा की पांवर लोड की स्वीकृत दी जानी अपेक्षित है):—
- 19. जेवरात कार्यं
- 20 ंनिम्नलिखित वा विनिर्माण :---
  - (1) ब्लैंको केवस
  - ্(2)-ৰ গ
    - (३) ऋभेस
  - (4) आईसकीम तथा मिष्ठान, जैम, जैलीज; तथा
  - ··(·5) जैम, जैलीज तथा फल परोक्षण
  - (6) नैरो फेब्रिक्स तथा लाखा के कार्य की सामग्री
  - ं (7) वाद्ययम् तथा उनकी मरम्मत
    - (8) जड़ाऊ चर्म बस्तुएं जैसे पसं, हैंड-बैग
    - (9) हल्के इलैक्ट्रोनिन्स।
- 21 व क- बाइडिंग सहित-पेपर स्टेशनरी 'संबंधी बस्तुल
- 22. टेलरिंग
- 23 घागा गोले व काटन फिलिस
- 24 लकडी की नक्काशी तथा कलात्मक काठ की वस्तुए
- 25 सेवई तथा मैकरानी
- 26 इलैक्ट्रोनिक्स वस्तुओं को जोड़ना तथा मरम्मत करना
- 27 हायी दांत नक्काशी
- 28. कार्ड बोर्ड बक्से
- 29 ब्लास्टिक एवं पी. वी. सी: उत्पाद
- 30 खिलीने तथा गुड़ियां
- '31ः पैषियर मशीन
- 32 तांबे व पीतल कला बस्तुए
- **ं33 लिएब**ंके "उत्पाद
- 34 फीता, रस्या तया स्तली बनाना
- 35, बढर्डगिरी
- 1 DDA/85-3

- 36 खेलकृद सामग्री
- 37 चमड़े के फुटवीयर
- 38ं इलैक्ट्रिकेल<sup>ं</sup> गैडेट स<sup>्</sup>की जोड़ना<sup>्</sup>व मररमेत करना
- 39 उन के गीले तथा लच्छी बनाना
- 40 चमड़ा तथा रैक्सीन से वस्तु निम्माण
- 41. सुगन्धित एवं श्रुगारिक वस्तुएं
- 42 सिलाई मंशीनों को जोड़ना/मरम्मत करना
- 43 सर्जारी पट्टी की रोलिंग तथा कहिंग
- 44 फॉउन्टेन पेन तथा बाल पेन
- 45 हीजरी
- 46 लौहारिगरी (बणतें श्यवसाय भट्टी के प्रयोग के विना एक द्विस मसीन, एक ब्राइन्डर तथा एक चारे भट्टी लेद मसीन की सहायता से एक कि. वा. से कम ऊर्जी खपत करते हुए चलाया आ रही हों)।
- 47. बन्टेकंट लैन्सिज निर्मणि कार्य
- 4६ ब्लाक बनाने तथा फोटो एनलाजिंग
- 49 एक कि. वा. से फोटो सैटिंग
- 50. लकड़ी/कार्ड बोर्ड/ज्यूलरी बोर्ड बसर्ते ऋग्नि समन विभाग से सनापत्ती प्रमाण-पक्ष लिया जाए।
- 51 कोटी स्टेट तथा साइनलीस्टीसिय
- 52 कैनवास बैग तथा बिस्तर बंद
- 53 बॅडिया तेथा पापड तैयार करना
- ·5·4ः भंशीन ं से 'ऊनः' की 'बुनाई
- 55 कमीदाकारी।
- श्रेणी "सी" :
- 5'6. 'ब्रॉम्य' 'तेल-बानी े संबंधी 'ब्यवसीय'।

[सं. एफ. 16 (134)/73- एम. पी.] एम. पी. जैन, सचिव

### NOTIFICATION T

# New Delhi, the 9th January, 1986

S.O. 161.—In exercise of the powers conferred by sub-section (1) of Section 57 of the Delhi Development Act, 1957 (61 of 1957), the Delhi-Development Authority with the previous approval of the Central Government, hereby, makes the following regulations under Clause (f) of the said Section.

# CHAPTER I-GENERAL

- 1. Short title, application and commencement.—(1) These Regulations may be called Delhi Development Authority (Zoning) Regulations, 1983.
- (2) These Regulations shall apply to the whole of the Union Territory of Delhi.
- (3) These Regulations shall confectinto force immediately on the date of their publication in the Official Gazette.
- 2. Definitions:—(1) In these Regulations, unless the context otherwise requires:—
  - (a) "Act" means the Delhi Development Act, 1957 (61 of 1957).

- (b) "Authority" means the Delhi Development Authority constituted under Section 3 of the Act.
- (c) "Capital Value" means the value of land, structure and machinery allowing depreciation on the date of sanctioned Master Plan.
- (d) "Commercial" means that which relates to Commerce.
- (e) "Competent Authority" means the Delhi Development Authority.
- (f) "District Centre" means district centre as shown in any of the plans and includes a sub-district centre.
- (g) "Floor Space per worker" means the resultant after dividing the total production floor space in square metres by the total registered industrial empolyment.
- (h) "Improvements to buildings" means the improvements as mentioned in Schedule III.
- (i) "Industrial" means that which relates to Industry.
- (j) "Non-conforming use" means the use of land or building not in conformity with the Master Plan and or the Zonal Development Plan for a zone.
  - (k) "Noxious industry" means such industry which may be dangerous to life, or injurious to health or property caused by fumes, effluent or smoke or by producing or storing inflammable material.
  - (1) "Nuisance industry" means such industry which may cause injury, danger, annoyance or offence to the scene or sight, smell or hearing or disturbance to rest or sleep.
  - (m) "Registered employment" means the number of workers registered with the Act under which the industry is functioning.
  - (n) "Residential" means that which relates to residence.
  - (o) "Use zones" means designation of the various uses as per Schedule I.
- 2. The terms not defined here expressly shall have the same meaning as defined or explained in the Master Plan.

# CHAPTER II

- 3. Uses to be allowed by sanctioning authorities in built-up areas.—In built up areas, the sanctioning authority may allow uses permitted in a use zone until Zonal Development Plans are prepared.
- 4. Uses allowed by the sanctioning authorities to be incorporated in the Z.D.P.—When the Zonal Development Plan to a built-up area is prepared, the uses allowed by the sanctioning authorities be in corporated in the land-use proposals.

### CHAPTER III

Shifting of non-conforming uses and conversion of certain uses:

5. Industrial Non-conforming uses (Noxious Industries).—Any person who may have, immediately

before the operation of plan, been using any land or building for running noxious industry shall shift that industry within three years to any conforming area or stop non-conforming use on the expiry of the said period.

Provided, however, it shall be lawful for a person to continue to use the said land or the building in that zone for "noxious industry" for such additional time as the authority may allow ---

- (a) in accordance with Schedule II in case the capital value exceeds one lac rupees;
- (b) in any other case on charging non-conforming use tax at such rates as it may prescribe from time to time and on such other terms and conditions as the authority may consider proper in view of the peculiar nature of the noxious industry.
- 6. Industries not noxious but cause nuisance.—Any person who may have, immediately before the operation of the plan, been using any land or building for running a nuisance industry shall shift that industry within four years to any conforming area earmarked in the plan or shall stop the non-conforming use, on the expiry of such period.

Provided, however, it shall be lawful for a person to continue to use the land or building in that zone for the nuisance industry for additional time as the authority may allow:—

- (1) In accordance with schedule II upto a maximum of ten years on a sliding scale if—
  - (a) the industry referred to in the Regulation has higher capital value;
  - (b) the registered employment of industry is more; and
  - (c) the industry referred to in the regulation has more floor space per worker.
- (2) in any other case on charging non-conforming use tax at such rates as it may prescribe from time to time and on such other terms and conditions as the authority may consider proper in view of the peculiar circumstances of the nuisance industry.
- 7. Non-nuisance Industry.—Any person who may have, immediately before the operation of any plan, been using any land or building for running a non-nuisance industry shall shift that industry within six years to any conforming area earmarked in the plan or shall stop the non-conforming use on the expiry of the said period.

Provided, however, it shall be lawful for a person to continue to use the land or building in that zone for a non-nuisance industry for such additional time as the authority may allow:—

- (1) in accordance with schedule II for a period upto twenty years on a sliding scale if:—
  - (a) the industry referred to in the regulation has higher capital value;
  - (b) the registered employment of the industry is more; and

k illi

- (c) in any other case on charging nonconforming use tax at such rates as it may prescribe from time to time and on such other terms and conditions as the authority may consider proper in view of the peculiar circumstances of the industry.
- 8. Residential use in industrial area.—Residential non-conformity use and its conversion.

Any person who may have, immediately before the operation of the plan, been using any land or building for a non-conforming use for residential purpose in an industrial use zone, may continue to use the same for a period of ten years and on expiry thereof shall shift the non-conforming use to any conforming area earmarked in the plan.

Provided, however, it shall be lawful for a person to continue to use such land or building in that zone for such non-conforming use even beyond the said period of ten years if that person has obtained approval of the authority in respect of the layout plan and the superstrucure being put to non-conforming use.

9. Residential use in commercial areas.—Any person who may have, immediately before operation of the plan, been using any land or building for non-conforming use for residential purpose in a commercial zone may continue to use the same for a period of ten years and on expiry thereof shall shift non-conforming use to any conforming area earmarked in the plan.

Provided, however, it shall be lawful for a person to continue to use such land or building in that zone for such non-conforming use even beyond the said period of ten years if—

- (a) Such person has obtained approval of the Authority in respect of the layout plan and the superstructure being put up to non-conforming use;
- (b) the authority, for reasons to be recorded in writing, allow such person the residential use to continue on first and higher floors of building in that zone.
- 10. Residential use in public recreational areas.—Any person who may have, immediately before operation of the plan, been using any land or building for non-conforming use for residential purpose in public recreational use zone may continue to use that land or building in case such land or building is situated in any village which was in existence on 1st September, 1962 and in all other cases only upto a period of ten years or such extended period as the Authority may keeping in view the peculiar circumstances of the case allow.
- 11. Commercial use in Industrial areas.—Any person may continue to use any land or building in industrial use zone for commercial purposes:—
  - (a) for a period of ten years after obtaining approval for conversion of the uses of such land or building to commercial use and the approval of the layout plan and structure thereon from the Authority; and

- (b) in any other case on such terms and conditions as the Authority may prescribe.
- 12. Commercial use in residential areas.—Any person may continue to use any land or building in a residential use zone for commercial purpose—
  - (a) for a period of ten years provided the land is earmarked as local commercial area in the Zonal Development Plan of that zone;
  - (b) in any other case on such terms and conditions as the authority may prescribe.
- 13. Commercial use in Public & semi-public areas including recreational areas.—Any person may continue to use any land or building in public or semi-public use zone including recreational zone for commercial purpose—
  - (a) for a period of ten years provided the land has been earn arked as local commercial area under the zonal development plan of that zone; and
  - (b) in any other case on such terms and conditions as the Authority may prescribe.
- 14. Improvements and alterations in non-conforming areas.—Any person who may have, immediately before the operation of the plan, been using any land or building not in conformity with the Master Plan or the Zonal Development Plan of that area intends to make improvements or alterations in the machinery that may have been installed on such land or building may be permitted to do so provided such improvements or alterations are covered by the items mentioned in schedule III to these Regulations.
- 15. Temporary permits.—Any land or building may be permitted on an application in written and for reasons to be recorded in writing temporary with a time limit to be used for a purpose other than the use stipulated in the plan like tents for workers to live while constructing an industrial estate or while an area is underdeveloped and the property owner wishes to continue agriculture or in underdeveloped areas to make temporary use of the land in some other way than shown in the plan.
  - 16. Use permitted.—It shall be lawful to continue to use any land or building in a zone provided it has been earmarked for any of the uses showing as permitted in that zone in Schedule IV attached hereto.
  - 17. Use permitted if allowed by competent Authority after special appeal.—It shall be lawful to continue to use any land or building in a zone which has been expressly permitted to be used for any purpose, mentioned in Schedule IV hereto, by the Competent Authority after special appeal.

## SCHEDULE I-AS PER REGULATION I (0)

		USE ZONE
1.	R-25	Residential
2.	R-50	Residential
3.	R-60	Residential
4.	R-75	Residential
5.	R-100	Residential
6.,	R-125	Residential
7.	R-150	Residential
8.	R-200	Residential

9, R-250	Residential.
10. A-1	Agricultural Green Belt
11. A-2	Rural
12. C-1	Retail Shopping.
13; C-2	General Business and Commercial (Central and sub-central business districts; business districts, districts on tres).
14. C-3	Wholesale
15. M <sub>1</sub> 1	Flatted factory
16. M-2	Work-cum-Industrial Centre.
.17, M-3	Special Industry
18. M-4	Light Industry and Service Industry.
19. M·5	Extensive Manufacturing
.20, M:6,	Extractive Industries, mining brick kilns stone crushing etc.
21. W	Warehousing, storate & depots.
22. C	Govt. & Semi-Govt. offices
23. P.	Recreation
24. F	Public & semi-public facilities.

# SCHEDULE IF AS: PER REGULATIONS: 5 TO 7 : Time: Schedule: for non-conforming cuses

## Industrial Uses:

Conditions for Moratorium Naxiou Industrie		Nuisance Indus- tries	Non-nui- sance Indus- tries	
	No. of yrs.	No. of	No. of yrs.	
1	2.	3	. 4,.	
Industries with no. of, regis- tered; employees 1; to, 19 with production floor space per worker 50 sq. ft. and below and capital value les than one lakh	! . <b>:</b>	4	6,	
No. of registered employees between 20 to 99 (addl- years)		1	a <b>2</b> ;	
Non of registered employees 100 and above (additiona years)		ı I:	`_2	
Production floor space per worker between 51 to 100 sq. ft. (Addl., years)		. 2	2	
Production floor space per worker of over 100 sq. ft. (additional years)			I: 2	
Capital value between one and five lakhs (addl. years)			2	
Capital Value above five lakhs (addl. years)	1	. 1	. 4	
Maximum no. of years:	5	. — — — . 10	20	

- Note 1. Time is given on each count listed in the table and is cumulative in the order given in table.
  - The employment noted in table is for industry using power. For industry not using power the employment is to be taken as double.

# SCHEDULE, III, ASSPER REGULATION 14:

Improvements to building and Machinery which may be allowed:

- 1. Repairs, replacement, modernisation or reform in any manner to improve productivity, efficiency and economy of the existing power plant and workshops and other auxiliary departments connected with the carrying on of the activities of the existing equipment.
- 25. Any recognisation, alteration, or repairs of building that, house such plant, and requipment:
- 3. Alteration, re-organisation, extension and addition to the existing office buildings, residential house, amenities, gates, tanks, plateforms, wells, roads drains and other structures in order to maintain and improve the efficiency, productivity and economy of the existing manufacturing, activities.
- 4. Repairs, alteration, on rebuilding of godowns on a industrial applet stocking raw-materials, machinery, parts and spares; finished products building materials set.

#### SCHEDULE IV AS PER REGULATION 16

Sl. Use Zone	Uses Permitted
2	3
1., 1.,to3 R-25, R-50, Re60.	Residences, nurseries, kinder- gyrtens and schools, clinics, social and cultural institutions with adequate, parking facili- ties public utilities and buil-
	dings except service and storage yards non-commercial farms, agricultural, gardens, nurseries and green houses
	and neighbourhood, recrea- tional uses including clubs and other semi-public recrea- tional uses, accessory uses, clea-
	rly incidental, to residential use (except retail shops and service uses) which will not create a nuisance or hazard.
2; 4 to 6 R-75, R-100 R-125	Allouses permitted in R-25 to R-60 use zones.
3. 7, to, 8, R-150, R-200	All uses permitted in R-75 use zones.
2.43.90: R=250.	All uses permitted in R-200 use zones.
510. A-1	Agricultural horticulture or- chard and vegetable farms having minimum size of farm plot 1 hectare poultry, dairy and other live stock farm and their accessory, buildings and, uses within the plot area limitation of minimum, 2 hectare plot uses specifically
	shown or stated in the land use plan, like urban villages. Brick kilns and removal of clay upto 8 ft. depth beyond a distance of half a mile from the urbanisable limits of 1981.

1 2 -	3	1 2	.; ::::: 57. V3. (T. 1175)
6. 11 A-2	All uses permitted in Agricultural		more than 50° workers with
	Green Belt use Zones.		power and 100 without power,
,		•	service industries, warehousing
7. 12 C-1	Retail shops, business and pro-		and storage; public utilities
	fessional offices service uses		and building and agricultural
***	like barbers and tailor, laundry		use in existing agricultural land
	and dry cleaners shops etc.,		until the area is required for
1 .	restaurants and entertainment		development. Parking, loading
	places residences social and		and unloading area require-
	welfare institution provided	· ·	ments must be approved for
	they are located in first and	3	all uses.
	higher floors, clinics meat		
	fish and fruit markets roofed	14. 19.M-5	All uses permitted in M-4 use
	storage for legitimate retail		zone.
4	business, public and semi-	a a comparation	
	public recreational uses public	15. 20°M-6	Removal of gravel, earth, sand
1	utilities and building, Parking		etc. extraction of minerals,
1	area requirements for all uses		with any conditions imposed
	must be approved.	· •	by competent authority; agri-
		-	· cultural and uses incidental
8. 13 C-2	All uses permitted in C-1 use	,	to agriculture.
	zone also hostels and boarding	72 2	
	houses, guest houses and ho-	1621./W	Warehousing, storage and
	tels, colleges, schools, research		. depot for non-parishable and
	institutions, service garages,		non-inflamable commodities
	warehousing and covered sto-		and incidental use. Parking
	rage local and central govern-		loading and unloading area
	ment offices. Parking area re-	•	requirements must be appro-
			ved for uses.
	quirements for all uses must		
	be approved.	17. 22 G.	Local, state and central govern-
9. 14 C-3	Wholesale and retail shops,		ment offices and use for defe-
, X, 14 G/3	storage for whole-sale uses	•	nce purposes research insti-
P.	except when specifically pro-	·	tutions; social and cultural
Recommendation of	hibited, business offices res-		institutions bus and railway
	A CONTRACTOR OF THE CONTRACTOR	•	passenger terminals, public
•	taurants and residences pro-	•	utility and building, local
1	vided they are located in first		municipal facilities, uses inci-
	and higher floor, public utili-		dental to government offices
s	ties and building parking,		and for their use parking
	loading and unloading requi-	,	requirements must be appro-
	rements must be approved		ved.
	for all uses.		· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·
10: 15 M-1	Industries conforming to perfor-	18: 23: P.	All public and semi-public re-
10. 19,111.1	mance standards as given in		creational uses including park
	illustrative list which could not		playgrounds, park ways and
	cause excessive injurious or	٠.	boulevards; special recreation
			areas and educational and
	obnoxious noise, viberation,	_ , ,	recreational areas; bus and
6.	smoke gas fumes, odour, dust,		railway passenger terminals
. •	affluent or other objectionable		and Car parking area. Parking
	conditions and employing not		
	more than 20 workers with		area requirement must be
	power or 40 without power,	* ***	approved in all cases.
	covered storage for industry.	40.04.70	" Your and would would be
	Public utilities and building	.1924: F.	Local and zonal municipal off
	parking, loading and unload-		cers; educational and research
	ing requirements must be		institutions, social and cultu-
•••	approved for all uses.		ral institutions, monument and
312 46 37 90	•		religious institutions; local
11. 16 M-2	Same as in M-1 use zone.	•	V municipal and community fa
12, 17, M-3	Same as in M-1 use zone.	Service Control of the Control of th	cilities, public utilities and
13. 18' M-4	All industries permitted in M-1,	•	building; radio transmitter and wireless stations; cremation
10. 10 IVI-7	M-2, and M-3 use zones and		ground and cometeries. Par-
			king area; requirements; mus
	other given in the list of in- dustries and employing not	•	be approved for all uses.

# SCHEDULE V AS PER REGULATION 17:

Uses permissible after special appeal.

Sl. Use Zone No. Use Permissible if allowed by competent authority after special appeal.

**2** 

3

1. 1 to 3

Temples, Mosques, churches and other places of worship; professional office or home occupations; when situated in the same dwelling as the one occupied by the professional man or women or when located in local shopping centre: commercial offices service uses and retail shops of a neighbourhood character when located in local shopping centres or in concentrated locations or as shown in the zonal plan when prepared; boarding houses, guest houses. hostels, and lodging houses governed by the Hotels, Boarding Houses, Guest Houses. Hostels, Lodging houses and Motels (Building Standards) Regulations 1977, hospitals and sanitoria not treating contagious diseases or mental patients; provided the set back and coverage of plots are such as not to constitute nuisance to residential area; college and research institutions not to be operated for the production of goods or other materials or sale provided there is no nuisance created and no part of the building is located less than 50 ft, from any plot line; municipal estate, and central government offices, raising of poultry or cattle for noncommercial uses provided that no bird or animal is housed closer than 50 ft. of a dwelling or a property line; removal of gravel clay sand or stone for development of site which will not result in the stagnation of water or cause other nuisance, bus depots, railway passenger and freight stations; petrol filling stations in roads or 100 feet right of way and above; services and storage yard, taxi and scooter stands; household industries (list attached Appendix 'A').

22. 4 to 6 ... R-75, R-100, R-125

All uses permissible in R 25 to R-60 use zones.

1

3

3. 7 to 8 R-150, R-200 All uses permissible in R-75 to R-125 uses zones.

4. 9 R-250

All uses permissible in R-200 use zones.

5. 10 A-1

Places of worship etc. schools;
Libraries and educational and
cultural buildings parks and
other public and semi-public
recreational use not conducted
for profit; storage, processing
and sale of farm products on
the property where produce;
the servicing and repair of
farm machinery and the sale
of agricultural supplies; public utility and buildings.

6. 11 A-2

Retail shops and service uses to be located in shopping centres; milk chilling stations and pasturisation plants, cottage industry and such light industry which use agricultural produce.

Colleges, Rurai .boarding houses and hostels scientific and industrial research laboratories not to be operated for the production of goods or other materials for sale except as may be produced by a small pilot plant provided there is no nuisance caused and no part of the structure is placed closed than 100 feet from any dwelling or an adjoining premises of from any property line or road, excavation materials up to 8 feet depth; stone quarrying bus, or railway passenger and freight stations landing fields for planes and their necessary appurtenances, utilities and buildings, area needed for Defence purposes, wireless transmitting and weather stations motels.

7. 12 C-1 §

Social and welfare institutions, petrol filling stations, coal, wood or timber yards, service garages; light manufcaturing without nuisance or hazard and employing not more than 4 persons with or without power provided the goods manufactured are sold on the premises in retail; taxi and scooter stand, bus terminal. Parking area requirements for all uses must be approved.

1 2	. 3	1 2 3
8. 13 C-2	All uses allowed with special appeal in C-1 zone. In addition, newspaper and printing presses, the following may also be allowed in specific areas under detailed plans or zonal plans of the shopping centre; light manufacturing and service industries without nuisance or hazard and not	and municipal facilities uses clearly incidental to recreational use which will not create nuisance or hazard.  Dwelling for watch and ward staff parking area requirements must be provided.  18. 24 F  Residence and other uses incidental to main use and in no
	employing more than 10 persons with or without power	way causing any nuisance or hazard.
	junk yards parking area requirements for all uses must be provided.	(Appendix 'A' to Schedule V)
9. 14 C-3	Truck terminal and parking schools, clinics and social cultural institutions recreational uses, storage markets and	LIST OF HOUSEHOLD INDUSTRIES IN RESIDENTIAL AREA
an n Whis	dealing with meat and fish.  Parking loading and unloading  area requirements must be	Category 'A'  (Trades for which no power load would be sanctioned)
10. 15 M-1  11. 16 M-2  12. 17 M-3	provided for all uses.  Bus and truck terminal, railway passenger and freight terminals, petrol filling stations taxi and scooter stands, junk yards, dwelling for watch and ward staff, canteen and recreation facilities for the employees.  Same as in M-1 use zone except that FAR and coverage etc. are different as given later on.  Only such industries as given in the illustrative list that do not create nuisance of any type will be allowed, along with canteens, recreation clubs and residence to employees provided the density is not more than 25 persons per acre on the site.  All uses allowed with special in M-4 zone. All industries mentioned in schedule subject to standard stipulated on smoke, odour, fumes and noise	<ol> <li>Agarbati &amp; other products.</li> <li>Calido &amp; Textile Printing.</li> <li>Cane Bamboo Products.</li> <li>Clay Modelling.</li> <li>Coir &amp; other fire products</li> <li>Zari Zardozi.</li> <li>Stone Engraving.</li> <li>Framing of pictures.</li> <li>Pithwork Mfg. of Pitch hate.</li> <li>Umbrella Assembly.</li> <li>Candles.</li> <li>Batik Work.</li> <li>Dari &amp; Carpet weaving.</li> <li>Khadi &amp; Handloom.</li> <li>Repair of watches &amp; clocks.</li> <li>Mfg. of soap with non-edible oil.</li> <li>Village pottary (trade is run without using power load) industry.</li> <li>Stove pins and safety pins.</li> </ol>
•	produced in the working of the industry.	Category 'B'
14. 20 M-6	Nil.	(Trades for which power load upto 1 KV be considered for sanction)
15. 21 W	Warehousing of perishable and inflammable commodities. Dwellings for watch and ward staff. Parking, loading and unloading requirements must be provided.	19. Jewellery work.  20. Mfg. of:—  (i) Blanco Cakes.  (ii) Brushes.  (iii) Crayons.
16. 22 G	Nii.	(iv) Ice Cream and Confectionary, Jam &
17. 23 P	Outdoor theatres and drive-in- cinemas restaurants and se- lling of eatables public utility	Jellies. (v) Jam, Jellies & fruit preserves. (vi) Narrow Fabrics & Lac-work material.

- (vii) Musical Instruments ind. repairs.
- (viii) Ornamental leather-goods such as purses, hand bags.
- (ix) Small Electronics.
- 21. Paper stationery items including bookbinding.
- 22. Tailoring.
- 23. Thread balls & cotton-fillings.
- 24. Wood carving & Artistic-wood wares.
- 25. Vermicalli & Macaroni.
- 26. Assembly & Repairing of Electronic items.
- 27. Ivory carving.
- 28. Card Board Boxes
- 29. Plastic & PVC Products.
- 30. Toys & Dolls.
- 31. Papier Machine.
- 32. Copper & Brass Artware.
- 33. Lac Products.
- 34. Cordage, Rope & Twine Making.
- 35. Carpentary.
- 36. Sports goods.
- 37. Leather Footwear.
- 38. Assembly & Repairs of Electrical Gadgets.
- 39. Wool Balling and Lachee Making.
- 40. Leather & Raxian Made-ups.

- 41. Perfumery & Cosmetics.
- 42. Assembly Repair of Sewing Machines.
- 43. Surgical Bandage rolling cutting.
- 44. Fountain pens and ball pens.
- 45. Hosiery.
- 46. Blacksmith (provided the trade is run without the use of Bhatti and with the help of one drill machine, one grinder and one four ft. lathe machine altogether consuming power less than one KV).
- 47. Contact lenses Mfg.
- 48. Block making & photo enlarging.
- 49. Photo setting with 1 K.V.
- 50. Wooden card board jewellery board subject to NOC from fire Deptt.
- 51. Photostat & Cyclostyling.
- 52. Canvas bags & holds-alls.
- 53. Preparation of Vadi & Papad.
- 54. Wool Knitting with machine.
- 55. Embroidery.

# Category 'C'

56. Trade of village oil ghani.

[No. F. 16(134)|73-M.P.] M. P. JAIN, Secv.

4.177

Delhi Development Authority.

A Control of the Control preserves.